तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/370) बअनवान रामाकिशन व अन्य बनाम कमला देवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

रामाकिशन व अन्य

बनाम

कमलादेवी इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री कैलाशसिंह भाटी अपीलांट्स
2. श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
3. श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4 से 10
4. श्री अवतारसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11 व 12
5. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

आदेश

दिनांक 18.03.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 335/2024 अनवान कमला देवी व अन्य बनाम विमला इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 अगस्त 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 497, 500, 504, 496, 498, 501, 503, अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या ग्यारह व बारह के पिता व दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2024; जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/370द्ध बअनवान रामाकिशन व अन्य बनाम कमला देवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कसूजी के पिता अचलोजी पुत्र हिमतोजी की वक्त सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा काश्त की भूमि है तथा इनके नाम से पट्टा भी जारी हुआ था। केसुजी ने सह-खातेदार गोवरिया पुत्र पोकर के हिस्से की जमीन दिनांक 25.11.1961 को उनके पुत्र हउड़ा पुत्र गोवरिया से रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद की थी तथा उनके खातेदारी में दर्ज की गई। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन गोवरिया पुत्र पोकर को अपना नजदीकी रिश्तेदार बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है, जिस मौखिक बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसका वर्षो पूर्व मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है तथा सभी खातेदार अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा काश्त करते है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के पति व पिता ने सन् 1988 में ही अपने संपूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया था तथा कब्जा मौके पर उसी समय खरीददारों को सुपुर्द कर दिया था। वक्त खरीद से खरीददार आज दिनांक तक अपनी खरीद सुदा भूमि पर सहखातेदार की हैसियत से काबिज मालिक है तथा खातेदारों ने आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा भी कर रखा है व उसी अनुसार काबिज व काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का विवादग्रस्त भूमि के एक इंच पर भी कब्जा काश्त नहीं है। अब रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन 36 साल बाद अपने पति व पिता ढलसिंह को पागल बताकर बेचान को गलत बता रहे है जो इनकी बात पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिथ्या कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये रेकर्डेड खातेदारान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स के खेत पर आते है तथा खेत में काम कर रहे मजदूरों को धमकाते है। इसलिए अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2024; जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/370द्ध बअनवान रामाकिशन व अन्य बनाम कमला देवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 14 अगस्त 2024 को निरस्त किया जावे

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की पुश्तैनी भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के मौके के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है। रेस्पोडेंट्स के पिता ढलसिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट पर पत्रावली में लगी हुई है। रेस्पोडेंट्स की ओर से इस संबंध में अखबार में भी विज्ञप्ति प्रकाशन करवायी थी। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में पत्रावल बहस के स्तर पर विचाराधीन है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण/रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना सीधे ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है तथा तत्पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी उनकी खरीदसुदा भूमि है, अपीलांट्स के उक्त उज्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 210/2024; जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/370द्ध बअनवान रामाकिशन व अन्य बनाम कमला देवी इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निराकरण विचारण न्यायालय मे वाद सुनवाई होना है। अदालत हाजा की राय में अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह विधिनुसार सुनवाई करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर